The Humble Representation against Annual Confidential Remarks 2022-2023"

From:

Nijender Kumar UP-2681,
(Posted At Present District Bijnor)
*Additional District and Sessions Judge
(14th Finance Commission) Kanpur Dehat.
*Additional District and Sessions Judge (Dacoity Affected Area),
(Crimes against Women) Kanpur Dehat,
*Secretary, District Legal Services Authority, Kanpur dehat.

Email:Nijender.Kumar@gmail.com
Official Email:Nijender.kumar78@ai.gov.in

To,

The Hon'ble Chief Justice of The Hon'ble High Court of Judicature Allahabad/ Hon'ble Administrative Judge/Authority at Allahabad.
Through:
The Registrar General, The Hon'ble High Court of Judicature, Allahabad.

In Re: "The Humble Representation against Annual Confidential Remarks 2023-2023 as remarking or giving only Very Good entry in place of "Outstanding entry",by the District Judge Shri Lal Chand Gupta Kanpur Dehat ignoring my all performances in court cum DLSA Secretary arbitrarily and not considering Units and disposal of cases by applicant Judicial officer (Nijender Kumar-UP2681) achieving the action plan of the Hon'ble High Court of Judicature Allahabad."

The Humble Representation of the Applicant Judicial Officer 'Nijender Kumar UP-2681' **most respectfully showeth:**
The applicant most respectfully submitted as under:

Brief Facts: Legal Grounds:

1.That the applicant Nijender Kumar-UP2681 is newly and first appointed as Additional District and Sessions Judge, HJS (direct) and has taken charge as Additional District and Sessions Judge (Crime against women) on 28th September 2019. Thereafter, I transferred to the additional District and Sessions Judge Fast Track Court (14th finance commission) Kanpur Dehat. Wherein I was also by name conferred with the jurisdiction of Dacoity Affected Area Court vide Notification No. 850 Main-B/Admin (A-): Allahabad; Dated 16 Nov. 2022 Administrative (A-3) Section The Hon'ble High court of Judicature at Allahabad. Further, I was also nominated as Secretary District Legal Services Authority Kanpur Dehat in December 2022 till the annual transfer in April 2023 District Bijnor.

2.That During this self assessment period, I performed the Highest Units deciding very oldest cases in spite of a lack of staff and achieved the Hon'ble High Court Action Plan 2022-2023. Further, I am to mention here that in the history of Kanpur Dehat during my tenure as

27/7/23

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Secretary of DLSA Kanpur Dehat, I have also achieved the highest disposal in National Lok Adalat held on 11th February 2023. Highest performance may be reflected from the news paper **Amar Ujala** Kanpur Dehat dated 12th February 2023 **annexed as No.1.**

3. Further, in the month of May the result went more than February Lok Adalat because of my hard work already just done at the ground level and various campaigns and various programs which I performed in the Kanpur Dehat at my own costs and expenditures for Public Good without Para-legal Volunteers(PLVs) at Kanpur Dehat which are not being appointed by State Legal Services Authorities at Lucknow. I had also written a letter to State Legal Services Authority Lucknow on 13th April 2023 as herein **annexed as No.2** mentioning the reasons but the Hon'ble District Judge Mr. Lal Chand Gupta ignored all my performance and hard work.

4. Whereas Other ADJs judicial officers at the Kanpur Dehat are given outstanding entries by Hon'ble District Judge Mr.Lal Chand Gupta because they are the pet class of the Hon'ble district Judge during this period. Further, with the painful words I would like to say that I am not a judicial slave of the Higher Judiciary and if the Higher District authority has no fair character or Sanskaar to write the ACRs, it is kind request not to write my character in the future in an arbitrary and corruptive mood. So I would like to resign from the job in future. However, It is also the duty of the most higher Judicial authorities to create a judicial cum value based system replacing the present ACR one man system constituted at district level so that the harassment as slave working in any way may not be possible through bias grading.

5. I think Justice must be in the line of Vikramaditya justice. So during my working I also made reformations for prisoners including women and childrens of inmates and reestablished a library with donations of books which was not working in the jail prison kanpur Dehat. I also directed all district authorities including block levels to establish legal aid clinics in all colleges, schools and Gram Panchayats at Kanpur Dehat because of that the National Lok Adalat performances were well increased. The News published in media establishing the library in jail Kanpur Dehat are **annexed as No.3**

6. I was also incharge of Record Room(Criminal) at Kanpur Dehat, and per month, since more than one year, I visited for the inspections of Juvenile Home [Rajkiya Sampreshan Grah(Kishore)] in District Etawah far away that is 125 km away from kanpur dehat from one side i.e total approximately up and down distance is 250km, and in kanpur Dehat inspecting old-age home, Rania,and in kanpur nagar Rajkiya Bal Grah(Boy) kalyanpur, Rajkiya BalGrah(Girl)Nababganj, Rajkiya BalGrah (Girls-Women) SwaroopNagar without any staff and on my petrol and car expenses but he didn't give me even any monthly petrol expenses and in District Legal Services Authorities kanpur Dehat campaigns and programs my car damaged. But, he ignored the hard work and undervalued a "very good entry" in place of "outstanding" me herein ACR ENTRY 2023-2023.

7.Further, I am to say that during eight months only, I achieved all the Action Plan as prescribed by the Hon'ble High Court of Judicature of Allahabad highest performance in the Court as compared with the previous year record in which I was awarded Very Good entry by the Hon'ble High Court in place of Good and now I also performed very highest National Lok Adalat performance, campaigns and programs on various plans and issues including Gender Issues etc. as well as mediations in the mediation centre DLSA during the tenure of

27/7/23

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Secretary, legal service authority Kanpur Dehat as well completing all actions plan of Hon'ble High Court Allahabad I, it was also exempted from the further quota in the court vide a Letter of the Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad namely **Letter No.189/Admin.(Services)/2023,Dated Allahabad: March 28,2023 (as annexed hereto No.4) whereas** all actions plan quota had already been achieved by me. Hence, in fact , I ought to be awarded "outstanding entry" in place of Very Good" for this annual period 2022 -2023.

Prayers:

It is therefore most respectfully prayed that the Hon'ble Chief Justice, The Hon'ble High Court of Judicature Allahabad/ Hon'ble Administrative Judge/Authority at Allahabad may graciously be pleased to:

(i) issue an appropriate order to remove/struck down/ expunge/ modify a "Very Good entry" and kindly with reasonable considerations **"Outstanding Entry" be awarded** in my Annual Confidential Remarks 2002-2023.

(ii) issue an appropriate order to provide or to be paid by the Chairman District Legal Services Authority Kanpur Dehat/State Legal Authority Lucknow to the applicant with all costs and expenditures during more than two years visiting district Etawah Child homes and visiting Kanpur Nagar women, Children homes inspections per month

(ii) issue such other appropriate order as the Hon'ble Chief Justice, The Hon'ble High Court Court of Judicature Allahabad/Hon'ble Administrative Judge/Authority at Allahabad may deem fit and proper in the facts and circumstances as originated from the Humble Representation of Judicial Officer applicant in favour of applicant Judicial officer.

Place: Kanpur Dehat(Ramabai Nagar)
(At Present Posted At District Bijnor)
Dated: 27/07/2023.

Applicant/ Judicial officer

Nijender Kumar

Nijender Kumar UP-2681 27/7/23
Additional District and Sessions Judge
Kanpur Dehat at present District Bijnor.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रीय लोक अदालत में 104476 मामलों का निपटारा

जिला न्यायालय और छह तहसीलों में हुई सुनवाई, 13 करोड़, 43 लाख, 20 हजार 472 रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई

संवाद न्यूज एजेंसी

कानपुर देहात। जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को एक दिन में एक लाख चार हजार 476 वादों का निपटारा किया गया। जिला न्यायालय और छह तहसीलों में आए दुर्घटना, पारिवारिक, बैंक रिकवरी, बिजली, उत्तराधिकार जैसे मामलों का निस्तारण कराकर 13 करोड़, 43 लाख 20 हजार 972 रुपये की अवार्ड क्षतिपूर्ति दिलाई गई।

माती स्थित जनपद न्यायालय में जिला जज लालचंद गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद दीप जलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला जज लालचंद्र गुप्ता ने 34 मामलों को रखा। इनमें 11 का निस्तारण किया गया। कुल तीन लाख 35 हजार 28 रुपये वसूले गए।

प्रधान पारिवारिक न्यायालय में 93 वादों में 48 का निस्तारण किया गया। अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय में 11 दंपतियों के विवाद का सुखद समझौते से निपटारा कर साथ भेजा गया। न्यायालय में ... में 42 वाद का मौके पर निस्तारण कराया गया।

प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने भी सात दंपतियों के मध्य समझौता कर उन्हें एक साथ घर भेजा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पीठासीन अधिकारी देवराज प्रसाद ने 100 में 47 वादों का मौके पर निस्तारण कराया। इन मामलों में दो करोड़ 65 लाख 47 हजार 142 रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई गई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव ने 382 में 366 वादों का निस्तारण कराया। इसी तरह सीजेएम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत में 13 हजार 995 में 2257 वादों का निस्तारण कराया गया। इसमें दो लाख 30 हजार रुपये की वसूली गई। सिविल जज मोहम्मद तौसीफ रजा की अदालत में 15 में 10 वादों का निस्तारण हुआ। उत्तराधिकार के मामलों का निस्तारण करते हुए 47,99,605.42 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत में जानकारी लेते अपर जिला जज निजेंद्र कुमार। संवाद

तहसील में मामले निस्तारित करते एसडीएम। संवाद

प्राधिकरण कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशस्तिपत्र

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी नियुक्त के बाद तहसील, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्र व राज्य की योजनाओं की जानकारी के लिए जगह जगह शिविर आयोजित किए गए। इसका परिणाम रहा कि लोक अदालत में पूर्व की अपेक्षा शनिवार को रिकॉर्ड स्तर पर वादों का निस्तारण हो सका है। इसके लिए प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 13 मई को होने वाली लोक अदालत के लिए प्रशासन व पुलिस से कार्य योजना बनाकर सहयोग करने की अपील की है।

घाटमपुर आउट लाइन कोर्ट के न्यायिक अधिकारी अनुराग की अदालत में 550 में 405 वादों का निस्तारण कर नौ हजार 940 रुपये की धनराशि वसूली गई। भोगनीपुर आउट लाइन कोर्ट की न्यायिक अधिकारी रश्मि तोमर की अदालत में 758 में 649 वादों का निस्तारण कर 27 हजार 900 रुपये की धनराशि वसूली गई। बैंक रिकवरी के 16425 वादों में 1128 वादों का निस्तारण कराया गया।

इसमें 9,88,90,000 रुपये की रिकवरी कराई गई। साथ ही सीएमओ डॉ. एके सिंह के यहां आयुष्मान योजना के तहत आए 196533 आवेदनों में 54523 का निस्तारण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज लालचंद गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करने व अधिकाधिक मामलों के निस्तारण करने में सहयोग देने के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया है।

लोक अदालत में निपटे 918 मामले

शिवली। मैथा तहसील में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न तरह के 918 मामले निस्तारित किए गए। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बताया कि जन सुनवाई, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शस्त्र नवीनीकरण के लंबित मामले निपटाए गए। इस मौके पर आशीष मिश्रा, सुमित श्रीवास्तव, संतराम पटेल, प्रदीप कुमार मौजूद रहे। (संवाद)

कुछ बकायेदार संतुष्ट तो कुछ के हाथ लगी निराशा

कानपुर देहात। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों समेत कई विभागों के शिविर लगाए गए थे। बैंकों की तरफ से चिह्नित मामलों में ऋण के बकायेदारों को सुलह समझौते के आधार पर भुगतान करने के लिए नोटिस दी गई थी। शनिवार को लोक अदालत में कुछ लोगों को राहत मिली तो कुछ मायूस होकर वापस चले गए।

भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सभी बैंकों के शिविरों में भीड़ रही, तो कुछ विभागों के शिविरों में सन्नाटा नजर आया। लोक अदालत में चल रहे शिविरों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। वादकारियों की समस्याओं को भी सुना गया। (संवाद)

केस-1

रूरा निवासी मूरत सिंह कर्ज उतारने उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक के शिविर में आए। यहां बताया कि उसने बैंक की शाखा सिमरमऊ से वर्ष 2014 में 60 हजार रुपये का ऋण लिया था। इसे वह समय से अदा नहीं कर सका था। पिछली लोक अदालत में बैंक ने 42 हजार रुपये में मामला निस्तारित कर दिया है। उसने उसी दिन तीन हजार रुपये जमा कर दिया था। शेष धन जमा नहीं कर सका था। अब बैंक ने 52 हजार रुपये की नोटिस दी है। इसके समाधान के लिए यह लोक अदालत आया था, लेकिन बैंक ने पूरा धन जमा करने की बात की है। उसके मामले का निस्तारण नहीं हो सका।

केस-2

सिकंदरा के गढ़िया गांव निवासी दशरथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोरू से वर्ष 2015 में क्रेडिट कार्ड बनवाकर कृषि कार्य के लिए ऋण उठाता रहा। समय समय पर किस्त जमा भी करता रहा।

कुछ साल से फसल खराब होने के चलते वह ऋण की अदायगी नहीं कर सका। इस पर बैंक ने दो लाख 11 हजार 354 रुपये के बकाये की नोटिस दी थी। लोक अदालत में बैंक के बड़े अधिकारी ने एक लाख 50 हजार रुपये में सेटेलमेंट कर दिया। उसने इधर उधर से रुपयों की व्यवस्था कर जमा किया। बैंक कर्मचारी ने जमा रसीद भी दे दी। उसी समय शाखा प्रबंधक ने आकर सेटेलमेंट करने से मना करते हुए रुपये वापस कर रसीद फाड़ दी। पूरा रुपया जमा करने ...

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1031

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात।

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कानपुर देहात।

सेवा में,

माननीय न्यायमूर्ति कार्यकारी अध्यक्ष महोदय,
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी,
लखनऊ।

द्वारा,

माननीय विशेष कार्याधिकारी महोदय,
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी,
लखनऊ।

पत्रांक- 155/जिविसेप्रा-2023/का०दे०(पीएलवी) दिनांक:-13.04.2023

विषय:- <u>पराविधिक स्वयं सेवकों के नवीनीकरण एवं मानदेय भुगतान किये जाने एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की समस्याओं के निराकरण किया जाने के सम्बन्ध में।</u>

संदर्भ:- पत्रांक:-906/एसएलएसए-15/2017(पीएलवी मानदेय) दिनांकित: 20.04.2017।
पत्रांक: 1242/एसएलएसए-55/2010(पीएलवी/23) दिनांकित: 12,अप्रैल 2023।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि उक्त पत्रांक के सन्दर्भ मे सादर अवगत कराना है कि सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक:- 906/एसएलएसए-15/2017(पीएलवी मानदेय) दिनांकित: 20.04.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि भविष्य में पैरा लीगल वालिण्टियर्स के मानदेय का भुगतान अग्रिम आदेशों तक न किया जाये"।

ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि पी.एल.वी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में पी०एल०वी० संतोषी देवी, प्रेमलता, सोनी साहू, प्रीती देवी, ज्योति गुप्ता, सीता देवी, निशी बेगम व आरती देवी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात द्वारा इस आधार पर यह आदेश पारित किया गया है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के स्तर से भुगतान न किये जाने के आदेश पारित है, जिस कारण नवीनीकरण भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। तद्नुसार उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अग्रिम आदेशों के अधीन उक्त प्रत्यावेदनो को निस्तारित किया गया है।

ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 11.02.2023 के राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गयी थी एवं दिनांक 13.05.2023 को अग्रिम राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि नियत की गयी है, जिस अग्रिम लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में पी.एल.वी. कार्यकर्ताओं की कमी महसूस होती है। जिस कारण विधिक सेवा प्राधिकरण-1987 की धारा-12 के अंतर्गत समाहित वंचित व्यक्तियों को और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं एवं केन्द्रीय- राज्य स्तर की योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्रामीण स्तर पर दूरस्थ क्षेत्रों में किये जाने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना एवं उक्त कठिनाई में कार्यालय अधोहस्ताक्षरी सचिव स्वयं अपनी पेट्रोल वाहन/गाड़ी का प्रयोग कर रहा है। इतना ही नहीं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 13438/एडमिन-'जी-II' इलाहाबाद दिनांकित 12.09.2018 के आदेश के

Saran 14/04/23

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा जनपद कानपुर नगर व इटावा के शरणालयों का भी निरीक्षण किया जा रहा है तथा अन्य न्यायिक अधिकारीगण के समान ही मात्र करीब 50 लीटर ईंधन दिया जाता है। परिणामतः यह भी अवगत कराना है कि स्वयं का व्यय वहन करते हुये वेतन धनराशि पर फिर भी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को टैक्स भी अदा किया जाता है। इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कार्यालय के रूप में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे ससम्मान निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक समस्या का निदान करते हुये निराकरण करने की कृपा करें एवं उक्त परिप्रेक्ष्य में समुचित मार्गदर्शन एवं दिशा- निर्देश पारित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः– सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

माननीय सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात।

भवदीय,

(निजेन्द्र कुमार)

अपर जिला जज /सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

कानपुर देहात।

अपर जिला जज/सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

कानपुर देहात

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आज
कानपुर

जिला जेल में कैदियों को बांटी गयी धार्मिक पुस्तकें

जिला कारागार माती में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निजेन्द्र कुमार निरीक्षण करते हुए, कैदियों को धार्मिक पुस्तकें बांटते निजेन्द्र कुमार व अन्य अधिकारी,छाया:आज

(आज समाचार सेवा)

कानपुर देहात, 25 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में एवं लालचन्द्र गुप्ता जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज दिनांक. 25-03-2023 को निजेन्द्र कुमार सचिव/अपर जिला जजए द्वारा जिला कारागार में बन्दियों के लिए स्थापित पुस्तकालय में पुस्तकों को दान करने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जिला कारागार में जागरूकता साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।दौरान शिविर सचिव/अपर जिला जज द्वारा बन्दियों के मनोविकास व सुधार, धार्मिक ज्ञानता, सामाजिक परिवेश के रुप में सतत विकास करने हेतु पुस्तकालय में और अधिक किताबों को पत्रकार ओम पाठक द्वारा आज करीब 30 धार्मिक पुस्तक श्री रामचरित मानस जिला कारागार पुस्तकालय में बन्दियों को पठन पाठन हेतु उपलब्ध करायी गयीं हैं तथा अन्य धार्मिक पुस्तकें श्री भगवद गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुग्रन्थ साहिब आदि उपलब्ध कराने हेतु पत्रकारों एवं अन्य सामाजिक समूह से अपील की गयी है। ताकि बन्दियों को उक्त धार्मिक लाभ प्राप्त हो सके और अपराधों में कमियां आ सकें। इसके अतिरिक्त विजिटर बोर्ड के गठन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था ताकि बन्दियों को सम्बन्धित समस्याओं से निराकरण सम्भव हो सके। उ0प्र0 कारागार मैन्युल के पैरा. 632 के अनुसार में विजिटर बोर्ड में जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, राज्य मानवाधिकार के द्वारा नामित व्यक्ति आदि होते हैं। उक्त सम्बन्ध में भी जिला कारागार बन्दियों को सम्बन्धित कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ सामाजिक विधिक दृष्टि से प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में दौरान जेल निरीक्षण परिचर्चा की गयी। आज ही दिनांक25-03-2023 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणए कानपुर देहात के पीठासीन अधिकारी देवराज प्रसाद सिंह द्वारा विशेष लोक अदालत में 23 वादों का निस्तारण कर 17617075 रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान करायी गयी। शिविर में निजेन्द्र कुमार सचिव/अपर जिला जज संजय कुमार शुक्ला, चीफ लीगल एड डिफेन्स कॉउसिल, सिद्धान्त विश्नोई, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स कॉउसिल, डिप्टी जेलर शिवाजी सिंह व कार्यालय कर्मचारी सुबोध कुमार तथा बन्दीगण आदि उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

जिला कारागार में स्थापित पुस्तकालय में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर

स्वतंत्र भारत संवाददाता

माती.कानपुर देहात। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में एवं लाल चन्द्र गुप्ता मा जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात लालचंद गुप्ता के निर्देशानुसार 25ण्3ण्223 दिन शनिवार को सचिवध्अपर जिला जज निजेन्द्र कुमार द्वारा जिला कारागार कानपुर देहात में बन्दियों के लिए स्थापित पुस्तकालय में पुस्तकों को दान करने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जिला कारागार में जागरूकताध्साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला कारागार में आयोजित शिविर के दौरान सचिवध्अपर जिला जज द्वारा बन्दियों के मनोविकास व सुधार धार्मिक ज्ञानता सामाजिक परिवेश के रुप में सतत विकास करने हेतु पुस्तकालय में पत्रकार ओम पाठक द्वारा आज करीब दो दर्जन से अधिक श्री रामचरित मानस जिला कारागार पुस्तकालय में बन्दियों को पठन. पाठन हेतु उपलब्ध करायी गयीं।वही श्री भगवदगीता कुरान बाइबिल गुरुग्रन्थ साहिब आदि धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पत्रकारों एवं अन्य सामाजिक समूह से अपील की गयी है।ताकि बन्दियों को उक्त धार्मिक लाभ प्राप्त हो सके और अपराधों में कमियां आ सकें।

जिलाकारागार में आयोजित शिविर में श्रीराम चरित मानस लिए बंदी

इसके अतिरिक्त विजिटर बोर्ड के गठन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था ताकि बन्दियों को सम्बन्धित समस्याओं से निराकरण सम्भव हो सकेउप्रकारागार मैन्युल के पैरा 632 के अनुसार में विजिटर बोर्ड में जिला न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक मुख्य चिकित्साधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला रोजगार अधिकारी जिला कृषि अधिकारी जिला औद्योगिक अधिकारी राज्य मानवाधिकार के द्वारा नामित व्यक्ति आदि होते हैं।

उक्त सम्बन्ध में भी जिला कारागार बन्दियों को सम्बन्धित कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ सामाजिकध्विधिक दृष्टि से प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में दौरान जेल निरीक्षण परिचर्चा की गयी।शनिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कानपुर देहात के पीठासीन अधिकारी देवराज प्रसाद सिंह द्वारा एम ए सी टी की विशेष लोक अदालत में 23 वादों का निस्तारण कर 1करोड़ 76 लाख 17 हजार 75 रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान करायी गयी।

शनिवार को उक्त शिविर में चीफ लीगल एड डिफेन्स कॉउसिल संजय शुक्ला सिद्धान्त विश्नोई असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स कॉउसिल सिद्धांत विशनोई डिप्टी जेलर शिवाजी सिंह सुबोध कुमार समेत जिला कारागार के अधिकारी कर्मचारी व बन्दीगण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पुस्तकालय के लिए भगवत गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब एवं अन्य पुस्तकों के दान की मांग

कानपुर देहात: पत्रकार ओमजी पाठक ने जनपद के स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य सामाजिक समूह एवं जनपद के पत्रकार बंधुओं से जिला कारागार कानपुर देहात में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के सचिव महोदय के प्रयासों से स्थापित पुस्तकालय के लिए भगवत गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान स्वरूप भेंट करने का किया है आग्रह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (लखनऊ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में एवं लालचन्द्र गुप्ता, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशानुसार आज दिनांक-(25.03.2023 को निजेन्द्र कुमार, सचिव / अपर जिला जज द्वारा जिला कारागार, कानपुर देहात में बन्दियों के लिए स्थापित पुस्तकालय में पुस्तकों को दान करने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जिला कारागार में जागरूकता / साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौरान शिविर सचिव / अपर जिला जज द्वारा बन्दियों के मनोविकास व सुधार, धार्मिक ज्ञानता, सामाजिक परिवेश के रूप में सतत विकास करने हेतु पुस्तकालय में और अधिक किताबों को पत्रकार ओम पाठक द्वारा आज करीब 30 धार्मिक पुस्तक रामचरित मानस जिला कारागार पुस्तकालय में वन्दियों को पठन-पाठन हेतु उपलब्ध करायी गयी हैं तथा अन्य धार्मिक पुस्तके भगवद गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुग्रन्थ साहिब आदि उपलब्ध कराने हेतु पत्रकारों एवं अन्य सामाजिक समूह से अपील की गयी है। ताकि बन्दियों को उक्त धार्मिक लाभ प्राप्त हो सके और अपराधों में कमियां आ सके। इसके अतिरिक्त विजिटर बोर्ड के गठन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था ताकि बन्दियों को सम्बन्धित समस्याओं से निराकरण सम्भव हो सके। उ0प्र0 कारागार मैन्युल के पैरा- 632 के अनुसार में विजिटर बोर्ड में जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, राज्य मानवाधिकार के द्वारा नामित व्यक्ति आदि होते है। उक्त सम्बन्ध में भी जिला कारागार वन्दियों को सम्बन्धित कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ सामाजिक / विधिक दृष्टि से प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में दौरान जेल निरीक्षण परिचर्चा की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(आज समाचार सेवा)

कानपुर देहात, 17 अप्रैल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 मई 2023 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। [illegible] जिला विधिक सेवा प्राधिकरण [illegible] लोक अदालत [illegible] बैठक की गई, जिस बैठक में अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0), कानपुर देहात की ओर से कुल [illegible] वादों को चिह्नित करके निस्तारण हेतु अपने की सूची प्रस्तुत की गई है, जिसमें विभिन्न अर्द्धन्यायिक न्यायालयों के प्रकरण अर्थात राजस्व अधिनियम के वादों के प्रकरण पारिवारिक सदस्य का प्रमाण पत्र, खतौनी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि तथा तहसील अकबरपुर, भोगनीपुर, डेरापुर, सिकन्दरा, मैथा एवं रसूलाबाद के न्यायालय तहसीलदार, नायब तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन राजस्व वादों, राजस्व विभाग के समक्ष [illegible] विवाद [illegible] है।

[illegible] आवश्यकता होती है। उक्त आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी स्तर से प्रचार-प्रसार के पूर्ण सहयोग किया जायेगा और समन्वय स्थापित किया जायेगा ताकि सुलह के माध्यम से भी कोई [illegible] अधिक से अधिक वाद निस्तारण में न हो। चूंकि 13 मई को नगर पंचायत एवं नगर पालिका के परिणाम भी घोषित होने हैं। बैठक में सचिव द्वारा सभी बिन्दुओं पर चर्चाएं की गईं, जिसमें उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 एवं रानी लक्ष्मीबाई योजना के प्रकरण रहे और चर्चाओं में यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी विभाग को कोई शिकायत या [illegible] सुलह के समक्ष होता है तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करें ताकि उचित समाधान भी हो सके और समाज के गरीब वंचित, दिव्यांगजन, कामगार-महिलाओं को लोक अदालत के रूप में त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। यह भी निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई 2023 को होना निश्चित है।

जनपद के सभी विभाग अधिक से अधिक और छोटे प्रकरणों को चिह्नित करते रहें। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पाण्डेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी चन्द्र भूषण सिंह, [illegible] देवेन्द्र कुमार यादव, [illegible] सन्दीप पाल, अपर जिलाधिकारी [illegible] से कमलेश सिंह, सूचना विभाग से राहुल तिवारी, सत्येन्द्र कुमार, आज बैंक से विकास तिवारी, रवि यादव, राज कुमार, राम प्रकाश सिंह एवं अशोक कुमार उपस्थित रहे।

[illegible] से अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक [illegible] सचिव [illegible] हुए पुलिस अधीक्षक राजेश पाण्डेय आदि [illegible]

From,

Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District & Sessions Judges and
Principal Judges, Family Court,
District Judiciary of the State of U.P.

No. 189 /Admin.(Services)/2023, Dated Allahabad: March 28 , 2023

Subject: Guidelines for Secretary (Full Time), District Legal Services Authority.

Sir,

On the above noted subject, I am directed to say that Hon'ble Court has been pleased to formulate following guidelines for the Judicial officer of the rank of Additional District & Sessions Judge who is designated as Secretary (Full Time), District Legal Services Authority:

- In view of the provisions made vide General Letter No. 11/IV-h-14/2019 dated 05.03.2019, the Higher Judicial Services officers who have been designated to work as the Secretary (Full Time), District Legal Services Authority may not be assigned any judicial work and therefore, they are not required to give any quota.
- The court against which the officer who has been designated as Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, is working will virtually remain vacant. The District & Sessions Judges may be requested to comply the directions mentioned in G.L. No. 27/Admin G-II dated 24.11.2021.

I am, therefore, to request you to kindly take necessary steps accordingly.

Yours sincerely

28.03.2023

(Krishna Swaroop Dhar Dwivedi)
I/c Joint Registrar (Judicial) (Services)
For Registrar General

No. (i)/Admin.(Services)/2023, Dated Allahabad: March , 2023

Copy forwarded to the Member Secretary, U.P. State Legal Services Authority, 3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow for information and necessary action.

Deputy Registrar (Services)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner